यह निरीक्षण प्रतिवेदन **परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2016 से 20.11.2016 श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2014 से 12.03.2014 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा डिपॉजिट कार्य कराया जाता है अर्थात ग्राहक विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. किया जाता है। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों से किये गये बॉण्ड के आधार पर कार्य कराया जाता है। कार्यों हेतु ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर राशि अवमुक्त की जाती है। इस इकाई के अधिकार क्षेत्र में अल्मोड़ा जनपद स्तर के कार्य आते हैं।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)
इकाई द्वारा किसी भी प्रकार की योजनाओं का संचालन नहीं किया जाता है। इकाई द्वारा पूर्णतया डिपॉजिट कार्य कराया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राहक विभाग द्वारा कार्य सौंपा जाता है। जिसको एम.ओ.यू. के अंतर्गत दी गयी समय सीमा में कार्यदायी संस्था के रूप में इकाई द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जाता है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद के सभी भवन संबंधी निर्माण कार्य किये जाते हैं, जो ग्राहक विभाग द्वारा इनको सौपे जाते है। इसके एवज में इनको सेन्टेज की राशि का भुगतान ग्राहक विभाग द्वारा किया जाता है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	1.26	1022.09	54.49	54.03	941.34	775.61	----	1189.53
2014-15	1.70	1187.83	52.10	52.21	1624.99	1105.42	----	1708.98
2015-16	1.60	1707.39	52.12	33.47	2549.71	1567.79	----	2709.56

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष `	प्राप्त `	व्यय आधिक्य(+) `	बचत (-) `
2013-14					
2014-15	------------------शून्य---------------				
2015-16					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाए)

(III) इकाई को बजट आवंटन स्रोत बताया जाए द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से सेन्टेज के रूप में राशि प्राप्त करता है तथा ए श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाए) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. प्रबन्धक निदेशक 3. मुख्य महाप्रबन्धक 4. महाप्रबन्धक 5. परियोजना प्रबन्धक

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाए)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में **परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत** द्वारा किए गए डिपॉजिट कार्यों की परीक्षा की गयी एवं लेखापरीक्षा विधि में लेन देन की लेखापरीक्षा (अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं

03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। 1. राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया में कला एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैती सूनाडी में 100 बैडेड छात्रावास का निर्माण 3. विपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिक संस्थान में वायर एवं फेन्सिंग सहित बांउड्रीवाल का निर्माण कार्य 4. सोबन सिंह जीन परिसर अल्मोड़ा में इतिहास विभाग के लिये भवन निर्माण 5. राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय गैरखेत, कुवाली एवं चगेठी के निर्माण कार्य 6. उपकेन्द्र मालीखेत में भवन निर्माण कार्य 7. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलाछीना एवं सोमेश्वर के भवन निर्माण (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया। कार्य का प्रतिचयन विधि कार्य की वास्तविक स्थिति एवं व्यय को ध्यान में रखकर किया गया था।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
30ए.बी./2008-09	----शून्य----	1,2,3,4
26 ए.बी./2011-12	----शून्य----	
192/2014-15		

2- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
30 एबी 2008-09 भाग 2(ब) प्रस्तर 1,2,34				
192/2014-15 भाग 2(अ) प्रस्तर-1 एवं भाग 2(ब) प्रस्तर 1,2,3,4				
उपरोक्त पूर्व प्रस्तरों की अनुपालन आख्या संल्गन कर दी गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाए)

इकाई द्वारा अधिकांश कार्यों को एम.ओ.यू. एवं अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा है।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- तीन निर्माण कार्यों में ` 95.38 लाख की अर्थदण्ड राशि की लम्बित तथा ` 440.88 लाख व्यय करने के पश्चात भी कार्यों का अवरूद्ध रहना।

राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन के द्वारा ` 489.14 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही साथ प्रथम किश्त ` 75.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी (मार्च 2013)। जिसे मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा (ग्राहक विभाग) द्वारा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण, इकाई रानीखेत (कार्यदायी संस्था) को अवमुक्त कर दिया गया था। (अप्रैल 2013)। इसके अंतर्गत प्रशासकीय भवन एवं कला संकाय कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु ` 181.56 लाख का अनुबन्ध गठित किया गया था (सितम्बर 2013)। अनुबंध के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ की तिथि सितम्बर 2013 तथा समाप्ति की तिथि मार्च 2015 थी। इस कार्य हेतु द्वितीय किश्त ` 200 लाख (मार्च 2014) और शेष धनराशि ` 214.14 लाख भी इकाई को अवमुक्त कर दी गई थी (मार्च 2015)। अभिलेखों में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा फरवरी 2015 तक प्रशासकीय भवन के फाउंडेशन का 15 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था और इस अवधि से कार्य आधा अधूरा किए जाने के बाद बंद पड़ा हुआ था। हालांकि कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु महाप्रबन्धक द्वारा छः माह अर्थात सितम्बर 2015 तक ही समयवृद्धि भी दी थी। अनुबंध के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि (नवंबर 2016) तक ठेकेदार को ` 106.35 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय जैंती सुनीडी अल्मोड़ा में 100 बैडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा ` 317.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। (जनू 2013)। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा सम्पूर्ण राशि ` 317.03 लाख अवमुक्त भी कर दी गई थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा (ग्राह्क विभाग) द्वारा भी परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, रानीखेत (कार्यदायी संस्था) को ` 287.03 लाख धनराशि अवमुक्त कर गई थी। (अगस्त 2013)। इन कार्यों हेतु ` 251.65 लाख का अनुबंध गठित किया गया था (दिसम्बर 2013)। अनुबंध के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ की तिथि दिसंबर 2013 तथा समाप्ति की तिथि जून 2015 थी। अभिलेखों में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा सितम्बर 2016 तक मात्र स्थल विकास का कार्य किया गया था और इस अवधि से कार्य लगातार बन्द पड़ा था। हालांकि कार्य को पूर्ण के जाने हेतु महाप्रबन्धक द्वारा छः माह अर्थात दिसंबर 2015 तक की समयवृद्धि भी दी थी। अनुबंध के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक ठेकेदार को ` 146.77 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट में बारवैड वायर फैन्सिंग सहित बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा ` 475.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही साथ प्रथम किश्त ` 184.21 लाख की धनराशि भी आवंटित की थी (मार्च 2013)। मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को ` 92.10 लाख और ` 212.60

लाख कुल ` 304.70 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी (अक्टूबर 2013 एवं नवम्बर 2015)। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के मध्य ` 185.90 लाख का अनुबंध गठित किया गया था (सितम्बर 2013)। इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ की तिथि सितम्बर 2013 तथा समाप्ति की तिथि मार्च 2015 थी। अभिलेखों में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा मई 2015 तक बाउड्रीवाल का कार्य (45 प्रतिशत) किया गया था और इस अवधि से कार्य लगातार बन्द पड़ा था। हालांकि कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु महाप्रबन्धक द्वारा छः माह अर्थात नवम्बर 2015 तक की समयवृद्धि भी दी थी। अनुबंध के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक ठेकेदार को ` 118.59 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

आगे लेखा अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त तीनों कार्यों में अनुबंध पूर्ण करने की सीमा एवं अतिरिक्त समय वृद्धि तक अनुबंध के कार्यों को पूर्ण न किए जाने के बावजूद इकाई द्वारा ठेकेदार से तीनों कार्यों की अर्थदण्ड की धनराशि ` 95.38 लाख[1] (जमानती राशि को काटने के बाद) की वसूली नहीं की गई थी एवं ठेकेदार को उसके द्वारा तीनों कार्यों में कराये गए कार्य का भुगतान ` 371.71 लाख का कर दिया गया था। और यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा महाप्रबन्धक की अनुमति से अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था (अगस्त-नवम्बर 2016) जबकि अनुबंध की धारा 49.1 के अनुसार अध्ययारोपित 10 प्रतिशत अर्थदण्ड तथा शेष छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करने के लिए वसूली की जानी थी। जिसके संबंध में महाप्रबन्धक द्वारा निर्देशित भी किया गया था। साथ ही तीनों कार्यों में अनुबंध के सापेक्ष किए गए भुगतान एवं अन्य व्यय कुल मिलाकर ` 440.88 लाख की धनराशि के व्यय के बावजूद कार्य अवरूद्ध पड़े थे।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त सभी कार्य स्पेशल पैकेज योजना के तहत स्वीकृत थे, जिसमें पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रावधान नहीं था तथा शासन द्वारा भी इन निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त कार्यों के लिए पुनरीक्षित आगणन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेगें। साथ ही प्रबन्ध निदेशक ने आदेशित किया था (अप्रैल 2013) कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्यों की प्रगति प्रारम्भ से ही संतोषजनक नहीं है, तो अनुबंध निरस्त (Rescind) या समाप्त (Determine) करने के लिये अनुबंध का तीन-चौथाई समय बीतने की प्रतीक्षा न की जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की एक-चौथाई अवधि अथवा आधी अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के समय ही अनुबंध निरस्त या समाप्त करने का नोटिस देते हुये ऐसा निर्णय समय से ले लिया जाये ताकि दूसरा अनुबंध कर कार्य समाप्त करने में अधिक विलम्ब न हो। जबकि अभिलेखों के अनुसार तीनों कार्यों की प्रगति प्रारम्भ से ही धीमी रही थी। साथ ही ग्राहक विभाग और कार्यदायी

---

[1] राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया ` 24.69 लाख 2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय ` 39.84 लाख 3. विपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिक संस्थान ` 30.85

संस्था के मध्य किये गये एम.ओ.यू. में भी कार्य को समय से पूरा कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का था।

इस प्रकार पाया गया कि तीनों की आरम्भ से धीमी प्रगति रहने के बावजूद इकाई द्वारा न तो समय रहते प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई और ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किए जाने के बावजूद अनुबंध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड की वसूली भी नहीं की गई। वसूली न किए जाने के कारण इन तीनों कार्यों को स्वीकृत लागत में पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि कार्यों के स्वीकृत वर्ष से तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है कार्य की दरों में वृद्धि हो चुकी है और कार्य स्पेशल योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के कारण आगणन का पुनरीक्षण भी नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समय वृद्धि की सीमा के बाद अनुबंध को निरस्त किया गया तथा यदि ठेकेदार द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो वसूली हेतु रेवन्यू विभाग को सूचित किया जायेग तथा ठेकेदार से वसूली के उपरान्त प्राप्त धनराशि से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराये जायेगें तथा निविदा किये जाने पर बढी दरों के अनुसार योजना तैयार की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्ध योजना के आदेशों का यदि पालन किया जाता तो आरम्भ में कार्य निरस्त कर अन्य को सौपें जाने पर कार्य में न तो अत्यधिक विलम्ब होता और न ही बढी हुई दरों के अनुसार योजना तैयार करनी पडती तथा ठेकेदार से इतनी अत्यधिक मात्रा में राशि वसूल करना भी संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि एक तो ठेकेदार से अनुबंध निरस्त किया जा चुका था तथा इकाई के पास जमानती राशि के अलावा फर्म की कोई राशि अन्य मद में उपलब्ध नहीं थी और स्पेशल पैकेज योजना के अंतर्गत कार्य होने के कारण पूर्व में दी गयी शर्तों के अनुसार कार्य को पुनरीक्षित भी नहीं कराया जा सकता। अतः बढी हुई दरों पर निविदा होने पर योजना को तैयार कर कार्य कराया जाना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुबंध के निरस्त होने एवं कार्य के बन्द होने के कारण ` 95.38 लाख की अर्थदण्ड राशि की लंबित वसूली के प्रकरण के साथ-साथ ` 440.88 लाख व्यय करने के पश्चात कार्य के अवरूद्ध होने तथा कार्य की लागत में अनावश्यक वृद्धि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- निविदा के बजाय कार्यदेशों से कार्य कराये जाने के कारण एवं आगणन के अनियमित पुनरीक्षण के कारण कार्य की लागत में ` 50.08 लाख की अतिरिक्त वृद्धि/व्यय भार।

वर्ष 2009-10 में जिला योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय, कुवाली के निर्माण किए जाने की स्वीकृति G.O. No. 1869/g.o.(swi)/2009-10 द्वारा दी गयी थी (दिसंबर 2009)। इस चिकित्सालय की स्वीकृत लागत ` 49.88 लाख थी। निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य भवन और टाइप 3 के आवासीय भवन का निर्माण किया जाना था। इस निर्माण कार्य के लिए जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा और निर्माण इकाई, रानीखेत के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था (जुलाई 2010)। जिसके अनुसार निर्माण की कार्य प्रारम्भ की तिथि जुलाई 2010 एवं कार्य पूर्ण किए जाने की तिथि फरवरी 2013 निर्धारित की गयी थी। इस चिकित्सालय के निर्माण कार्य के पूर्ण होने वाले वर्ष अर्थात वर्ष 2012-13 तक ` 48.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी और मात्र ` 1.69 लाख की राशि अवमुक्त की जानी शेष थी। जो कि मार्च 2013 तक अवमुक्त कर दी गई थी।

इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि चिकित्सालय का निर्माण कार्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार निविदा आमंत्रित कर संपादित करने के बजाय कार्यदेशों के माध्यम से कराया गया था एवं वर्ष 2012-13 तक कार्यदेश के माध्यम से मात्र ` 28.80 लाख व्यय किया गया था और अन्य व्यय (कंटिन्जेंसी, सेंटेज आदि) मिलाकर कुल ` 35.22 लाख व्यय किया गया था और मुख्य भवन एवं आवासीय भवन की कार्य प्रगति क्रमशः 40 और 10 प्रतिशत थी। जबकि कार्य को निविदा के द्वारा ठेकेदार के माध्यम कराया जाता तो ठेकेदार द्वारा समझौता ज्ञापन में दी गई कार्य पूर्णता की अवधि तक कार्य पूर्ण किए जाने की बाध्यता होती क्योंकि मात्र `1.69 की धनराशि छोड़कर पूर्ण धनराशि कार्य पूर्णता की अवधि से पाँच माह पूर्व इकाई को प्राप्त हो चुकी थी। इस तथ्य का उल्लेख कार्यों की जांच आख्या में भी किया गया है।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि दो अन्य चिकित्सालयों चंगेठी एवं गैरखेत, जिनकी स्वीकृति इस चिकित्सालय के साथ की ही थी, इनकी लागत क्रमशः ` 49.99 लाख एवं ` 49.97 लाख थी, कार्य पूर्णता की अवधि समान थी, जिनमें कार्य पूर्णता की अवधि वर्ष 2012-13 तक केवल क्रमशः ` 24.19 लाख एवं ` 5.00 लाख की धनराशियाँ प्राप्त हुई थी और कार्यादेश के माध्यम से कार्य कराये गए थे, के आगणनों के साथ यह तथ्य देते हुए कि कार्य समाप्ति के माह (फरवरी 2013) तक पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने और कार्यों की मदों की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण इस चिकित्सालय के आगणन को भी पुनरीक्षित कराया गया था। इस चिकित्सालय के आगणन की पुनरीक्षित लागत ` 99.96 लाख स्वीकृत की गई थी (मार्च 2016)। जबकि इस चिकित्सालय हेतु ` 1.69 की धनराशि छोड़कर पूर्ण

धनराशि कार्य पूर्णता की अवधि से पाँच माह पूर्व इकाई को प्राप्त हो चुकी थी। आगणन के पुनरीक्षण के पश्चात पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष लेखा परीक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक इस चिकित्सालय हेतु ` 64.39 लाख धनराशि इकाई को प्राप्त हो चुकी थी तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक चिकित्सालय के निर्माण में ` 63.76 लाख व्यय करके वर्तमान में कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार इस चिकित्सालय मे निविदा के बजाय कार्यदेशों से कार्य कराये जाने के कारण एवं आगणन के अनियमित पुनरीक्षण के कारण कार्य लागत में ` 50.08 लाख (99.96-49.88) की अतिरिक्त वृद्धि हुई। और इतनी राशि में अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा चिकित्सालय की लागत में हुई अतिरिक्त वृद्धि/व्यय भार के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि धनावंटन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण और दरों में वृद्धि के कारण मूल प्राक्कलन में कार्य पूर्ण न होने की दशा में पुनरीक्षण किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को कार्य पूर्णता की अवधि से पाँच माह पूर्व तक 97 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो चुकी थी। इकाई द्वारा इस चिकित्सालय के सापेक्ष गलत तथ्य देते हुए अन्य दो कार्यों के साथ इस कार्य के आगणन को पुनरीक्षित कराया गया और यदि निविदा करके ठेकेदार के माध्यम से कार्य को निष्पादित कराया गया होता तो कार्य समय से पूर्ण हो जाता एवं न तो पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती और न ही लागत में अतिरिक्त वृद्धि होती।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	विभाग	कार्य का नाम	योजना की स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि/कार्य पूर्ण की तिथि
1.	चिकित्सा	प्रा.स्वा.केन्द्र शामा	62.580	57.894	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 9/1997, 5/1999
2.	चिकित्सा	प.क. उपकेन्द्र गोदी	5.570	4.996	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 09/2004,3/2006
3.	चिकित्सा	एस.ए.डी. गोदी	44.08	41.40	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 03/1998,03/2006
4.	चिकित्सा	एस.ए.डी. दन्या	45.36	44.178	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 03/1999,03/2006
5.	स्वास्थ्य	प्रा.स्वा.केन्द्र दयाडी	76.300	65.478	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 11/2002,12/2010
6.	स्वास्थ्य	एस.ए.डी. पाली	85.340	83.261	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 10/2007,03/2011
7.	स्वास्थ्य	एस.ए.डी. क्वेशली	34.73	34.056	100%	कार्य पूर्ण हस्ता
8.	स्वास्थ्य	एस.ए.डी. खेती	99.98	93.288	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 08/2010,12/2011
9.	स्वास्थ्य	एस.ए.डी.नैनी	89.660	86.467	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 09/2011,12/2015
10.	जिला योजना	उपकेन्द्र मुसौली	33.240	28.036	100%	विद्युत संयोजन प्रगति पर ---,01/2016
11.	आर्यु.वि.	राज.आर्यु चि मेल्ला महादेव	61.900	59.957	100%	जल संयोजन अपेक्षित ..../2007,03/2011
12.	आर्यु.वि.	राज.आर्यु. वि बसर	39.770	39.620	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 05/2007,12/2010
13.	शिक्षा विभाग	रा.क.उ.मा. ताड़ीखेत	38.500	35.235	100%	कार्य पूर्ण हस्ता जारी 07/2008,07/2010
14.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. धामदेवल	51.61	49.64	100%	लेखाबन्दी 03/2009,07/2010
15.	शिक्षा	रा.इ.का. नैनवालपाली	9.84	9.68	100%	लेखाबन्दी 08/2011, 02/2012

	विभाग					
16.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. चौखुटिया	147.32	118.60	100%	कार्य पूर्ण 12/2014, 06/2016
17.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. भिकियासैण	10.00	4.93	100%	कार्य पूर्ण हस्ता पत्र 07/2014, 05/2015
18.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. धामदेवल	10.00	9.94	100%	लेखाबन्दी 07/2016,10/2014,04/2015
19.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. द्वारसों	20.95	20.20	100%	लेखाबन्दी 07/2016,10/2014,07/2015
20.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. योगसैणरामुपर	20.89	17.03	100%	लेखाबन्दी 07/2016,10/2014,09/2015
21.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. धामदेवल	20.89	20.87	100%	लेखाबन्दी 07/2016,10/2014,04/2015
22.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. जौरासी	22.00	21.90	100%	लेखाबन्दी 07/2016,06/2015,12/2015
23.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. देवलीखेत	22.00	21.63	100%	कार्यपूर्ण हस्ता पत्र 06/2015,12/2015
24.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. भागतोला	22.00	20.79	100%	हस्ता कार्य चल रहा है 06/2015,12/2015
25.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. देवलीखेत	11.00	10.54	100%	कार्य पूर्ण हस्ता पत्र 10/2015,02/2016
26.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. क्षोणसैण	15.00	13.72	100%	कार्य पूर्ण ------------------------
27.	शिक्षा	रा.इ.का. ताड़ीखेत	15.31	14.50	100%	कार्य पूर्ण 12/2015,06/2016

	विभाग					
28.	शिक्षा विभाग	खण्ड शिक्षा अधि. भौखियाछाना	60.00	59.447	100%	कार्य पूर्ण हस्त पत्र 06/2015, 05/2016
29.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. मण्डलकोट	22.00	19.66	100%	कार्य पूर्ण हस्ता 06/2015, 12/2015
30.	शिक्षा विभाग	रा.उ.मा.वि. पच्चीसी	11.24	9.89	100%	कार्य पूर्ण 11/2015 ,03/2016
31.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. बग्वाली पोखर	15.00	14.79	100%	कार्य हस्ता 02/2016, 10/2016
32.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. बाडेछीना	3.2	2.69	100%	कार्य पूर्ण ----- ------
33.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. द्वाराहाट	2.5	2.475	100%	कार्य पूर्ण हस्ता ----- -----
34.	शिक्षा विभाग	रा.इ.का. महतगांव	2.5	2.439	100%	कार्य पूर्ण हस्ता ----- -----
35.	कु.वि.	वानिकी विभाग भवन अल्मोड़ा	158.47	146.86	100%	कार्य पूर्ण हस्ता ------- ------
36.	कु.वि.	इतिहास विभाग, अल्मोड़ा	134.64	122.08	100%	विद्युत संयोजन नहीं कलाइट द्वारा मना 07/2007 06/2012
37.	उच्च शिक्षा	राजकीय महा. भिकियासैण	494.08	359.800	100%	कार्य पूर्ण 09/2013, 12/2015
			2019.45	1767.28		

अव्ययित धनराशि = 2019.45 – 1767.28 = 2.52 करोड़

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री हरीश प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रानीखेत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)